

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 26.04.23

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 12 जिलों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक) में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 में करवाये जा रहे हैं (प्रति सलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1163 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
13. सम्भागीय आयुक्त अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर।
14. जिला कलक्टर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

Signature valid

Digitally signed by Shaily Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.26 15:36:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3709867



राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/1163

दिनांक:- 06/04/2023

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :- नगरीय निकायों के उपचुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 - मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 12 जिलों में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 21.04.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 07.05.2023 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :- रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीया,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/1164

दिनांक:- 06/04/2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अपर्णा शर्मा)

सहायक सचिव

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
सचिवालय, जयपुर

प्राप्ति

दिनांक

1254233
13 APR 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
नगरीय निकाय सदस्यों के उप चुनाव अप्रैल-मई, 2023 –
उप चुनाव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	21.04.2023 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	25.04.2023 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	26.04.2023 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	28.04.2023 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	29.04.2023 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	08.05.2023 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

दिनांक
05/04/2023

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उप चुनाव अप्रैल-मई, 2023 -
उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डों की सूची

क.सं.	जिले का नाम	क.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प. ब्यावर	55
2.	भरतपुर	2.	न.नि. भरतपुर	06
3.	बीकानेर	3.	न.पा. डूंगरगढ़	02
4.	चित्तौड़गढ़	4.	न.पा. निम्बाहेड़ा	16
5.	चुरू	5.	न.प. सुजानगढ़	47
6.	धौलपुर	6.	न.प. धौलपुर	07
7.	जयपुर	7.	न.पा. जोबनेर	13
8.	कोटा	8.	न.पा. इटावा	27
9.	पाली	9.	न.पा. सादडी	25
10.	सीकर	10.	न.पा. लोसल	20
		11.	न.पा. लोसल	10
		12.	न.पा. रींगस	32
11.	श्रीगंगानगर	13.	न.पा. पदमपुर	21
12	टोंक	14.	न.पा. उनियारा	13

चित्रा